पंजीकृत डाक

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय(मध्य)
Ministry of Environment, Forests & Climate Change
Regional Office (Central Region)

सत्यमेव जयते

जहाँ है हरियाली ।
वहाँ है खुशहाली ॥

केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर–एच, अलीगंज, लखनऊ–226024
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector 'H' Aliganj, Lucknow-226024 Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025
Email: (Env.) m_env@rediffmail.com, (Forest) goimoefrolko@gmail.com

पत्र सं0 8बी/दिल्ली/07/01/2015/1769

दिनांक– 26.03.2015

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन एवं वन्यजीव विभाग,
ए–ब्लाक, द्वितीय तल, विकास भवन,
आई0पी0 इस्टेट, नई दिल्ली–110002

विषयः Diversion of 0.0446 ha. land for construction of Entry/Exit of R.K. Puram Metro Station for Metro Rail Transit System (MRTS)

सन्दर्भ : मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, नई दिल्ली का पत्रांक– II/36/पी0ए0/सी0सी0एफ0/11–12/डी0एम0आर0सी0 फेज–III/1003–04, दिनांक–17.03. 2015

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय पर संदर्भित पत्र का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा राज्य सरकार ने विषयांकित प्रस्ताव पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मॉगी थी।

प्रस्ताव के निरिक्षण के उपरान्त मुझे यह सूचित करना है कि प्रस्ताव में कुछ त्रुटियॉ पायी गयी हैं जो निम्नलिखित है–

1. यह प्रस्ताव अतिरिक्त वन भूमि का है। इसे मूल प्रस्ताव में क्यों नही शामिल किया गया था, इसकी व्याख्या दें।
2. प्रभागीय वनाधिकारी के स्थल निरीक्षण रिर्पोट में कुछ स्थानों पर "NA" लिखा हुआ है, जबकि यहॉ "हॉ" या "नही" लिखा होना चाहिए।
3. पृश्ठ–34 पर उपलब्ध करायी गयी वृक्षों की सूची से कुल वृक्षों की संख्या और पातन होने वाले वृक्षों की संख्या का पता नही लगता है।
4. वनाधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत प्रमाण पत्र संलग्न नही किया गया है।
5. प्रस्ताव के वन भूमि में प्रस्तावित किये जाने के संबंध में दी गयी रिर्पोट प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नही है।
6. प्रस्ताव में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु देय धनराशि, प्रस्तावित वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य की देय धनराशि एवं शुद्ध वर्तमान मूल्य में संशोधन होने पर अतिरिक्त देय धराशि की प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित अण्डरटेकिंग नही प्रस्तुत की गयी है।

7. चेकलिस्ट के अनुसार कम संख्या–7, 10, 11 एवं 12 के दस्तावेज प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नही है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उल्लिखित बिन्दुवार त्रुटियों को दूर करके संशोधित प्रस्ताव भेजने का कष्ट करें। प्राप्त प्रस्ताव मूल रूप में वापस किया जाता है।

संलग्नक– मूल प्रस्ताव

भवदीय,

(डी0पी0 सिन्हा)
अपर प्रमुख मुख्य वन संरक्षक (के0)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. प्रमुख सचिव (पर्या0 एवं वन), दिल्ली राज्य सरकार,छठवा स्तर, सी–अनुभाग, दिल्ली सचिवालय, आई0पी0 इस्टेट,नई दिल्ली–110002
2. प्रभागीय वनाधिकारी, दक्षिणी वन प्रभाग, शूटिंग रेंज, तुगलकाबाद, दिल्ली राज्य सरकार,, दिल्ली।
3. मुख्य अभियन्ता, दिल्ली मैट्रो रेल कार्पो0 लि0, मैट्रो भवन, फायर ब्रिग्रेड लेन, बाराखम्बा, नई दिल्ली–110001
4. श्री आनन्द कुमार, आशुलिपिक, पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
5. आदेश पत्रावली।

27.3.15

(डी0पी0 सिन्हा)
अपर प्रमुख मुख्य वन संरक्षक (के0)